जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' की अवधि बढाई

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे भार 31 मार्च तक होंगे नियमित

जयपुर, **02 फरवरी** । प्रदेश में कृषि विद्युत कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े भार को बिना पैनल्टी राशि के नियमित कराने के लिये लागू की गई "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि को 31 मार्च, 2015 तक बढाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में यह योजना 9 जनवरी, 2015 तक लागू की गई थी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री संजय मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश के कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और राजस्व हानि को रोकने के लिये इस योजना की अवधि को पुनः बढाने का निर्णय लिया गया है। 31 मार्च, 2015 को योजना अवधि की समाप्ति के उपरान्त भार सत्यापन के लिये विशेष जांच अभियान चलाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर बढ़ी हुई क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगाने, नई 11के.वी. लाईन डालने सहित सब–स्टेशन बनाने का समस्त खर्च विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन किया जायेगा।

श्री मल्होत्रा ने बताया कि "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जायेगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जायेगी एवं मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर उनके भार को नियमित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है और वे इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान यदि उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर रूपये (2500+2500) 5000/– प्रति हार्स पावर पैनल्टी जमा करानी होगी।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने बताया कि ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने बढ़े विद्युत भार को 31 मार्च, 2015 तक "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत नियमित करा कर इस योजना का लाभ उठावें।

————————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 187/2015